न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 530/2025

वाद अंतर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए. तथा 136 एल.आर.एक्ट

1. प्रवीण कुमार पुत्र श्री योगराज जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
2. बिट्टू सेवटा पुत्र श्री शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
3. रजत पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
4. दीपक पुत्र श्री प्रमोद कुमार जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.) आयु करीब 15 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती बली माता कान्ता पत्नी श्री प्रमोद कुमार जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

–वादीगण

बनाम्

1. साधूराम पुत्र श्री मनफूल राम जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
2. योगराज पुत्र श्री साधूराम जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
3. उपासना पुत्री श्री योगराज जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
4. शंकरलाल पुत्र श्री साधूराम जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
5. कविता पुत्री श्री शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
6. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री साधूराम जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
7. अजय सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
8. तनिष्का पुत्री श्री महेन्द्र सिंह जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रमोद कुमार पुत्र श्री साधूराम जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

निर्मला देवी पुत्री श्री साधूराम पत्नी श्री सत्यनारायण जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.) हाल आबाद हरिसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रतनलाल पुत्र श्री जगदीश चन्द्र जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

ज्ञानदेवी पत्नी श्री जगदीशचन्द्र जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

3. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

4. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- **श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट**

प्रतिवादी सं. 1ता12 की ओर से :- **श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट**

निर्णय दिनांक :-

वकील वादीगण द्वारा उक्त दावा इन तथ्यो के आधार पर पेश किया कि वादीगण तथा प्रतिवदी सं. 1 ता 12 के संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी तथा संयुक्त परिवार की संयुक्त आय से खरीदशुदा आराजी चक 1 ए.एम.पी. ए खाता सं. 81/63 खाता साधूराम जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078) तथा इसी चक के खाता सं. 31/20 खाता ज्ञान देवी तथा चक 2 एच.आर.पी.के खाता सं. 116/92 खाता रतनलाल वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078) तथा चक 2 एस.टी.पी. के खाता सं. 160/106 खाता साधूराम जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 (जमाबन्दी 2078) तथा इसी चक के खाता सं. 161/107 खाता साधू सिंह तथा चक 3 एस.टी.पी. के खाता सं. 90/74 खाता प्रमोद कुमार वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078) में सांझा खातो में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के उक्त खातों की जमाबन्दीयां सलंग्न है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी मनफूलराम पुत्र श्री मामराज के फौत होने के बाद उनके वारिसान उनके पुत्रगण प्रतिवादी सं. 1 साधूराम तथा उनके दूसरे

लगातार --3

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पुत्र जगदीशचन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। प्रतिवादी सं. 1 साधूराम पुत्र श्री मनफूलराम के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान उनके पुत्रगण/ पुत्री प्रतिवादी सं. 2,4,6,9तथा10 की जद्दी जायदाद है। जिसमें प्रतिवादी सं. 2,4,6,9तथा10 का उनके पिता प्रतिवादी सं. 1 के साथ जन्म से ही ब.हि.ब. का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। किन्तु प्रतिवादी सं. 1 तथा 10 ने अपने समस्त विरास्तन हक व हिस्से का परित्याग अपने पुत्रो/ भाईयो प्रतिवादी सं. 2,4,6तथा9 के पक्ष में ब.हि.ब. कर दिया है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 व 10 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः प्रतिवादी सं. 1 साधूराम पुत्र श्री मनफूलराम के नाम दर्ज आराजी के प्रतिवादी सं. 2,4,6तथा9 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 2,4,6तथा9 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 2,4,6तथा9 को अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 से विरास्तन प्राप्त हुई है। प्रतिवादी सं. 2 योगराज पुत्र श्री साधूराम के नाम दर्ज आराजी तथा उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी प्रतिवादी सं. 2 के वारिसान वादी सं. 1 तथा प्रतिवादी सं. 3 की जद्दी जायदाद है। जिसमें सभी का विरास्तन हक व हिस्सा जन्म से ही बनता है। किन्तु प्रतिवादी सं. 3 ने अपने समस्त हक व हिस्से का परित्याग वादी सं. 1 तथा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में कर दिया है। इसलिये प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज तथा उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी के वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 ब.हि.ब. के हकदार है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 4 के नाम दर्ज आराजी तथा उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी प्रतिवादी सं. 4 के वारिसान वादी सं. 2 तथा प्रतिवादी सं. 5 की जद्दी जायदाद है। जिसमें सभी का विरास्तन हक व हिस्सा जन्म से ही बनता है। किन्तु प्रतिवादी सं. 5 ने अपने समस्त हक व हिस्से का परित्याग वादी सं. 2 तथा प्रतिवादी सं. 4 के पक्ष में कर दिया है। इसलिये प्रतिवादी सं. 6 के नाम दर्ज तथा उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी के वादी सं. 3 व प्रतिवादी सं. 7 व 8 ब.हि.ब. के हकदार है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 6 के नाम दर्ज आराजी तथा उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी वादी सं. 3 तथा प्रतिवादी सं. 7 व 8 की जद्दी जायदाद है। जिसमें सभी का विरास्तन हक व हिस्सा जन्म से ही बनता है। किन्तु प्रतिवादी सं. 8 ने अपने समस्त हक व हिस्से का परित्याग वादी सं. 3 तथा प्रतिवादी सं. 6 व 7 के पक्ष में कर दिया है। इसलिये प्रतिवादी सं.

लगातार --4

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

के नाम दर्ज तथा उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी के वादी सं. 3 व प्रतिवादी सं. 6 व 7 ब.हि.ब. के हकदार है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 9 के नाम दर्ज आराजी तथा उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी के उनके वारिस वादी सं. 4 जन्म से ही विरास्तन हकदार है। इसलिये प्रतिवादी सं. 9 के नाम दर्ज आराजी के वादी सं. 4 तथा प्रतिवादी सं. 9 ब.हि.ब. के हकदार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 3,5तथा8 का कोई हक व हिस्सा नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी में वादीगण के दादा प्रतिवादी सं. 1 का नाम साधू सिंह उर्फ साधू उर्फ साधूराम पुत्र श्री मनफूल दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जबकि प्रतिवादी सं. 1 का सही नाम साधूराम पुत्र श्र मनफूलराम ही है। उक्त त्रुटि राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा सहबन से दर्ज हुई है तथा काबिल दुरूस्ती है। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 का नाम दुरूस्त करवा साधूराम उर्फ साधू सिंह उर्फ साधू पुत्र श्री मनफूल के स्थान पर साधूराम पुत्र श्री मनफूल राम दर्ज करवा जमाबन्दी दुरूस्त करवाने के वादीगण अधिकारी एंव दावेदार है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण के संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी उक्त वादग्रस्त आराजी का वादीगण तथा प्रतिवादीगण ने आपस में काश्त की सुविधाओं को मद्दे नजर रखते हुए तथा आराजी के एकीकरण के लिये अच्छी मे से अच्छी तथा मन्दी मे से मन्दी के मुताबिक खाला तथा रास्ता की सुविधा अनुसार घरूबंटवारा कर रखा है। उक्त घरू बंटवारा मुताबिक वादीगण तथा प्रतिवादीगण को निम्नानुसार आराजी प्राप्त हुई है तथा इसी मुताबिक अपना अपना खाता अलग अलग कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है:-

क) **वादी सं. 1 प्रवीण कुमार पुत्र श्री योगराज तथा प्रतिवादी सं. 2 योगराज पुत्र श्री साधूराम का ब.हि.ब. का हिस्सा :-**

चक 3 एस.टी.पी. खाता सं. 90/74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
183/123	46	6,7/0.253 है., 8/0.088 है., 13/0.088 है., 14,15/0.253 है.प्र., 16/1/0.228 है., 17/0.190 है., 18/0.056 है.,
		कुल 1.6620 है.,

चक 2 एस.टी.पी. खाता सं. 160/106

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
184/123	69	1/0.1690 है.(पश्चिम दिशा में 16' छोडते हुए उत्तर से दक्षिण लम्बा)
		कुल 0.1690 है.,

लगातार --5

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
मंगरिया

वादी सं. 2 बिट्टू सेवटा पुत्र श्री शंकरलाल तथा प्रतिवादी सं. 4 शंकरलाल पुत्र श्री साधूराम का ब.हि.ब. का हिस्साः-

चक 3 एस.टी.पी. खाता सं. 90/74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
182/122	44	25/1/0.2280 है., 25/2/0.0250 है.गै.मु.खाला, कुल 0.2530 है.मय गै.मु.,
183/123	46	8/0.1650 है., 9,10,11,12/0.2530 है.प्र., 13/0.1650 है., 18/0.1080 है., 19/0.1010 है., 20/0.0630 है., कुल 1.6140 है.,

वादी सं. 3 रजत पुत्र श्री महेन्द्र सिंह व प्रतिवादी सं. 7 अजय सिह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह व प्रतिवादी सं. 6 महेन्द्र सिंह पुत्र श्री साधूराम का ब.हि.ब. का हिस्साः-

चक 2 एस.टी.पी. खाता सं. 160/106

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
184/123	69	1/0.060 है.(पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण), 2/0.253 है., कुल 0.3130 है.,

चक 2 एस.टी.पी. खाता सं. 161/107

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
184/123	69	8,9,10,11,12,13/0.253 है.प्र., कुल 1.5180 है.,

घ) वादी सं. 4 दीपक पुत्र श्री प्रमोद कुमार का 0.5060 है. हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 9 प्रमोद कुमार पुत्र श्री साधूराम का 1.5420 है. हिस्सा का हिस्साः-

चक 1 ए.एम.पी. ए खाता सं. 31/20

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
179/127	11	12,19/0.2530 है.प्र., कुल 0.5060 है.,

चक 1 ए.एम.पी. ए खाता सं. 81/63

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
179/127	11	17/0.241 है., 18,22,23/0.253 है.प्र., 24/0.252 है., 25/2/0.037 है. कुल 1.2890 है.,
179/128	16	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.गै.मु.रास्ता, कुल 0.2530 है. गै.मु. रास्ता,

लगातार --6

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रतिवादी सं. 2व6 योगराज, महेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री साधूराम का ब.हि.ब. का हिस्सा :-

चक 2 एस.टी.पी. खाता सं. 160/106

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
184/123	69	1/0.024 है.(पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा),
		कुल 0.0240 है.,

प्रतिवादी सं. 11 रतनलाल पुत्र श्री जगदीशचन्द्र का हिस्सा :-

चक 2 एच.आर.पी. खाता सं. 116/92 में दर्ज कुल 0.987 है.,

प्रतिवादीया सं. 12 ज्ञानी देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द्र का हिस्सा :-

चक 1 ए.एम.पी. ए खाता सं. 31/20

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
179/127	11	7,8,13,14/0.253 है.प्र.,
		कुल 1.0120 है.,

चक 1 ए.एम.पी. ए खाता सं. 81/63

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
179/127	11	17/0.012है.(पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा)
		24/0.0010है.,(उत्तर पश्चिम कोना),
		25/0.014है.,(पश्चिम दिशा में होते हुए उत्तर दिशा मे लम्बाई में)
		कुल 0.0270 है.,

वादीगण दावा की दफा 7 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है लेकिन दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम दावा की दफा 4व5 के मुताबिक दर्ज नही होने के कारण तथा सांझा खातों में दर्ज होने के कारण तथा जमाबन्दीयो में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिये वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादीगण को दावा की दफा 4 व 5 के मुताबिक खातेदार काश्तकार होना मान तथा दावा की दफा 6 के मुताबिक जमाबन्दी दुरूस्त करवा वादीगण का खाता दावा की दफा 7 के मुताबिक अलग अलग कायम करवा इसी मुताबिक राजस्व

लगातार --7

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
मंगरिया

रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवे लेकिन पहले तो वे टाल मटोल करते रहे। लेकिन अन्त में पिछले सप्ताह वे वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कारी हो गये। यही विनाय दावा है।

वादीगण की ओर से जरिये वकील उक्त दावा पेश होने के बाद एवं सिगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते सम्मन तलवाना पेश किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की ओर से श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट ने जवाब दावा पेश कर वाद वादीगण डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की। जबकि प्रतिवादी सं. 14 की ओर से जरिये राजपैरोकार जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 13 की तलबी की रजि. ए.डी. की रसीद तथा स्टेटस पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 13 को बार बार आवाज लगवाई गई। लेकिन इनकी ओर से कोई हाजिर नही आने पर एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा में वादीगण के वाद का कोई विरोध नही किया गया है। इसलिये उक्त प्रकरण में तनकीआत कायम करने की कोई आवश्यक्ता नही है। साक्ष्य वादी मे वकील वादीगण द्वारा वादी सं. 1 प्रवीण कुमार पुत्र श्री योगराज का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित किये गये। वकील वादीगण तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा अन्य साक्ष्य नही पेश करने पर साक्ष्य बंद किये गये। दौराने बहस वकील वादीगण द्वारा दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण डिक्री किये जाने पर निवेदन किया गया तथा प्रतिवादीगण द्वारा डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति जाहिर की गई। वकील वादीगण तथा वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो व साक्ष्य से वाद वादीगण तथा जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रतिवादीगण पूर्णतः सिद्ध पाया जाता है क्योकि वादग्रस्त आराजी वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की विरास्तन कृषि भूमि है जिसके समर्थन में वकील वादीगण द्वारा चक 2 एस.टी.पी. तथा चक 1 ए.एम.पी. ए तथा चक 3 एस.टी.पी. की विरास्तन कृषि भूमि के समर्थन में इन्तकाल तथा बअनवानी प्रकरण जगदीश चन्द्र वगैरा बनाम् मनफूल वगैरा मुकदमा सं. 133/1999 में सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा दिनांक 02.12.1999 को जारी डिक्री की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की गई है। चुंकि सांझा खातो की

लगातार --8

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सभी सहहिस्सेदार प्रतिवादी सं. 1 ता 12 खाता तकसीम करवाये जाने पर सहमत है। अतः सहमति के आधार पर वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 12 का कब्जा भी सिद्ध है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-::क्रियात्मक आदेश::-

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण का खाता दावा की दफा 7 के मुताबिक अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमलदरामद किया जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे तथा चक 1 ए.एम.पी. ए खाता सं. 81/63 खाता साधूराम जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078) में प्रतिवादी सं. 1 साधूराम पुत्र श्री मनफूल के नाम दर्ज आराजी में से 1.542 है. आराजी प्रतिवादी सं. 9 प्रमोद कुमार पुत्र श्री साधूराम तथा 0.027 है. प्रतिवादी सं. 12 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता सं. 31/20 खाता ज्ञान देवी में दर्ज कुल 1.518 है. आराजी मे से 0.506 है. आराजी वादी सं. 4 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 12 का हिस्सा कम किया जावे तथा चक 2 एच.आर.पी.के खाता सं. 116/92 खाता रतनलाल वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078) मे दर्ज कुल 0.987 है. आराजी प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावें तथा चक 2 एस.टी.पी. के खाता सं. 160/106 खाता साधूराम जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 (जमाबन्दी 2078) में दर्ज कुल 0.506 है. आराजी में से 0.169 है. आराजी वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 के नाम तथा 0.313 है. आराजी वादी सं. 3 तथा प्रतिवादी सं. 6 व 7 के नाम तथा 0.024 है. आराजी प्रतिवादी सं. 2 व 6 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता सं. 161/107 खाता साधू सिंह में दर्ज कुल 1.518 है. आराजी वादी सं. 3 तथा प्रतिवादी सं. 6 व 7 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रतिवादीसं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा चक 3 एस.टी.पी. के खाता सं. 90/74 खाता प्रमोद कुमार वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078) में

लगातार --9

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
मंगरिया

3.529है. आराजी में से 1.662 है. आराजी वादी सं. 1 तथा प्रतिवादी सं. 2 के नाम तथा शेष 1.867 है. आराजी वादी सं. 2 तथा प्रतिवादी सं. 4 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता मे से प्रतिवादी सं. 6 तथा 9 का नाम फलमजन किया जावे तथा चक 2 एच.आर.पी. खाता सं. 116/92 तथा चक 2 एस.टी.पी. खाता सं. 160/106 तथा इसी चक के खाता सं. 161/107 तथा चक 3 एस.टी.पी. खाता सं. 90/74 में प्रतिवादी सं. 1 का नाम साधू सिंह उर्फ साधू उर्फ साधूराम पुत्र श्री मनफूल का नाम जमाबन्दी में दुरूस्त किया जाकर साधूराम पुत्र श्री मनफूल राम दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सगरिया